

पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

Date 28/12/2020


क्रमांक नं० 281

लाइन का नाम 400 KV D.C. Meerut - Mandala बुक नं० 05

सेवा में,

श्री/श्रीमती. Onkar Singh पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Raj Singh
 ग्राम Abhapur पोस्ट Talabud तहसील Modhnagar जिला ghorabud
 महोदय/महोदया,

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 एवं भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि 400 KV D.C. Meerut - Mandala (D.C.) लाइन के बनाते समय उचित ध्यान रखा जायेगा कि फसल की कम से कम क्षति हो, फिर भी अपरिहार्य कारणों वश उपरोक्त लाइन के निर्माण के समय नष्ट हुई आपकी क्षतिग्रस्त फसल की क्षतिपूर्ति जो राजस्व विभाग या अन्य सक्षम सरकारी विभाग द्वारा उपलब्ध करये गये आंकलन पर नियमानुसार निर्धारित की जायेगी, का भुगतान स्वामित्व सत्यापन के उपरांत किया जायेगा।

फसल का विवरण

क्रमांक	टावर संख्या	फसल का विवरण	क्षतिग्रस्त फसल का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	किल्ला/खसरा संख्या / ग्राम	अन्य विवरण
01	568 566	जई जाना	100x10 + 70x10 40x20	700	Tower erection & stringing Dismantling work

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि

1. नुकसान हुई फसल का केवल मैं/हम ही मालिक हूँ/है यदि अन्य कोई इस पर अपना अधिकार प्रमाणित करता है तो उसके लिए मैं/हम स्वयं उत्तरदायी होंगे।
2. उपरोक्त दी गई सूचना सत्य एवं मान्य हैं।

Onkar Singh
 (फसल स्वामी के हस्ताक्षर)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री Onkar Singh वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त फसल का मालिक है और भूमि श्री Onkar Singh के नाम दर्ज है।

भूमि स्वामित्व सत्यापित Onkar Singh

Ramprakash
 21/01/2021
 रामप्रकाश लेखपाल
 क्षेत्र-अबूपुर
 तहसील-मोदीनगर
 जिला-गाजियाबाद

Pradhan
 प्रधान
 हस्ताक्षर सरपंच/ग्राम प्रधान
 (फसल स्वामी के हस्ताक्षर)

हस्ताक्षर राजस्व अधिकारी

Ad
 कृते पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

अवर अभियंता/सहायक अभियंता/अभियंता/वरिष्ठ अभियंता
 प्रथम प्रति : भू: स्वामी - सफेद, द्वितीय प्रति : वित्त विभाग (पावर ग्रिड)-लाल, तृतीय प्रति : कार्यालय प्रयोग द्रेत-पीली

पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

Date
05-01-2021
13

क्रमांक नं०

283

लाइन का नाम 400KV D.C. Meerut-Mandla बुक नं० 06

सेवा में,

श्री/श्रीमती Niranakar Singh पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Shri Raj Singh
ग्राम abbupur पोस्ट abbupur तहसील Modinagar जिला Ghazipur
महोदय/महोदया,

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 एवं भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि 400KV D.C. Meerut-Mandla लाइन के बनाते समय उचित ध्यान रखा जायेगा कि फसल की कम से कम क्षति हो, फिर भी अपरिहार्य कारणों वश उपरोक्त लाइन के निर्माण के समय नष्ट हुई आपकी क्षतिग्रस्त फसल की क्षतिपूर्ति जो राजस्व विभाग या अन्य सक्षम सरकारी विभाग द्वारा उपलब्ध करये गये आंकलन पर नियमानुसार निर्धारित की जायेगी, का भुगतान स्वामित्व सत्यापन के उपरांत किया जायेगा।

फसल का विवरण

क्रमांक	टार संख्या	फसल का विवरण	क्षतिग्रस्त फसल का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	किल्ला/खसरा संख्या / ग्राम	अन्य विवरण
01	568 -566	धाना जोई	50x30+50x20 + 80x20 70x15	702,303 312,699 212	Tower erection Destruction striking and foundation work

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि

1. नुकसान हुई फसल का केवल मैं/हम ही मालिक हूँ/हैं यदि अन्य कोई इस पर अपना अधिकार प्रमाणित करता है तो उसके लिए मैं/हम स्वयं उत्तरदायी होंगे।
2. उपरोक्त दी गई सूचना सत्य एवं मान्य हैं।

Niranakar Singh
(फसल स्वामी के हस्ताक्षर)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री Niranakar Singh पुत्र राजा सिंह वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त फसल का मालिक है और
भूमि श्री Niranakar Singh द्वारा राजा सिंह के नाम दर्ज है।

भूमि स्वामित्व सत्यापित

हस्ताक्षर राजस्व अधिकारी

रामप्रकाश खोसला
क्षेत्र-अबपुर
तहसील-मोदीनगर
जिला-गाजियाबाद

प्रधान
ग्राम प्रधान अबपुर
हस्ताक्षर सरपंच/ग्राम प्रधान
(फसल स्वामी के हस्ताक्षर)

उपेन्द्र कुमार - Uendra Kumar
क्षेत्र अभियंता Engineer
कृते पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एच.वी.डी.सी.-दादरी-H.V.D.C., DADRI

अवर अभियंता/सहायक अभियंता/अभियंता/वरिष्ठ अभियंता

प्रथम प्रति : भू: स्वामी - सफेद, द्वितीय प्रति : वित्त विभाग (पावर ग्रिड)-लाल, तृतीय प्रति : कार्यालय प्रयोग हेत-पीली

पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

Date
05-01-2021

(14)

क्रमांक नं० 284

लाइन का नाम 400KV D.C Meenut-Mandala बुक नं० 06

सेवा में,

श्री/श्रीमती... Krishan Kumar Nehra पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री... Karan Singh

ग्राम... Bisakhar पोस्ट... Govindpuri तहसील... Modinagar जिला... Gorakhpur

महोदय/महोदया,
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 एवं भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि 400KV D.C Meenut-Mandala लाइन के बनाते समय उचित ध्यान रखा जायेगा कि फसल की कम से कम क्षति हो, फिर भी अपरिहार्य कारणों वश उपरोक्त लाइन के निर्माण के समय नष्ट हुई आपकी क्षतिग्रस्त फसल की क्षतिपूर्ति जो राजस्व विभाग या अन्य सक्षम सरकारी विभाग द्वारा उपलब्ध करये गये आंकलन पर नियमानुसार निर्धारित की जायेगी, का भुगतान स्वामित्व सत्यापन के उपरांत किया जायेगा।

फसल का विवरण

क्रमांक	टावर संख्या	फसल का विवरण	क्षतिग्रस्त फसल का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	किल्ला/खसरा संख्या / ग्राम	अन्य विवरण
01	568	गेहूँ	70x15	308	Tower erection ↓ Accordingly shifting work

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि

1. नुकसान हुई फसल का केवल मैं/हम ही मालिक हूँ/है यदि अन्य कोई इस पर अपना अधिकार प्रमाणित करता है तो उसके लिए मैं/हम स्वयं उत्तरदायी होंगे।
2. उपरोक्त दी गई सूचना सत्य एवं मान्य हैं।

K. K. Nehra
(फसल स्वामी के हस्ताक्षर)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्री 600 कुमार नेहरा पुत्र करन सिंह वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त फसल का मालिक है और

भूमि श्री श्री 600 कुमार नेहरा पुत्र करन सिंह बि. बि. सि. को. के नाम दर्ज है।

Subash
आबिद अली
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत विसोखर
विहस्ताक्षर सरपंच/ग्राम प्रधान
(फसल स्वामी के हस्ताक्षर)

भूमि स्वामित्व सत्यापित

Ramprakash
21/01/2021
रामप्रकाश लेखपाल
क्षेत्र-अबूपुर
तहसील-मोदीनगर
जिला-गाजियाबाद

हस्ताक्षर राजस्व अधिकारी

Luendra Kumar
कृते पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
क्षेत्र अभियंता- Field Engineer
पावरग्रिड- POWERGRID
एच.वी.डी.सी. इंदौर- H.V.D.C., DADRI

प्रथम प्रति : भू: स्वामी - सफेद, द्वितीय प्रति : वित्त विभाग (पावर ग्रिड)-लाल, तृतीय प्रति : कार्यालय प्रयोग हेत-पीली